The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 1 | Issue 2 | July-September 2023
ISSN: 2583-973X
Website: www.theacademic.in

21वीं सदी में भारतीय आंतरिक सुरक्षा : चुनौतियां और समाधान

प्रो. विनोद मोहन मिश्रा
रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन, दयानंद एंग्लो वैदिक महाविद्यालय,कानपुर (उ.प्र.)

संजीव कुमार*
शोध छात्र, रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्विद्यालय, कानपुर (उ.प्र.)

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Article History
Received : September 13, 2023
Accepted : September 21, 2023

ABSTRACT

दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले और विविध देशों में से एक के रूप में भारत को 21वीं सदी में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित असंख्य जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह सार बहुआयामी मुद्दों और उन्हें संबोधित करने के लिए संभावित रणनीतियों का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है। भारत के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को सामाजिक–आर्थिक असमानताओं, क्षेत्रीय संघर्षों, आतंकवाद, साइबर खतरों और पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे कारकों के अभिसरण की विशेषता है। देश विभिन्न राज्यों में उग्रवाद और वामपंथी उग्रवाद से जूझ रहा है, ऐसे में विकास और उग्रवाद विरोधी अभियानों में संतुलन की आवश्यकता है। घरेलू और सीमा पार दोनों तरह से आतंकवाद लगातार खतरा बना हुआ है, 2008 के मुंबई हमले एक स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के साथ सीमा सुरक्षा और राजनयिक संबंधों का प्रबंधन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बीच, साइबर युद्ध और साइबर अपराध डिजिटल युग में महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं के रूप में उभर रहे हैं, जो एक मजबूत साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे की मांग कर रहे हैं। भारत की विविध धार्मिक, जातीय और भाषाई संरचना के कारण सांप्रदायिक सद्भाव और अंतर–सामुदायिक संबंधों के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। सांप्रदायिक हिंसा और कट्टरपंथ से संबंधित चुनौतियों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, पर्यावरणीय गिरावट, संसाधनों की कमी और जलवायु परिवर्तन, विशेष रूप से कमजोर क्षेत्रों में सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो पर्यावरणीय स्थिरता और सुरक्षा चिंताओं को एकीकृत करे। इन बहुआयामी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के पास कई विकल्प मौजूद हैं। इनमें अत्याधुनिक सुरक्षा बुनियादी ढांचे में निवेश, अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण, खुफिया–साझाकरण तंत्र को बढ़ाना, संघर्ष–प्रवण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और पड़ोसी देशों के साथ राजनयिक बातचीत को बढ़ावा देना शामिल है। कानून प्रवर्तन

*Corresponding Author

एजेंसियों को मजबूत करना, सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देना और साइबर सुरक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। निष्कर्षतः, 21वीं सदी में भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ जटिल और परस्पर जुड़ी हुई हैं। इन उभरते खतरों के बीच देश की स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपायों, कूटनीति और विकास पहलों को संयोजित करने वाली एक व्यापक और दूरंदेशी रणनीति आवश्यक है। यह सार चुनौतियों और संभावित समाधानों के जटिल जाल की एक झलक के रूप में कार्य करता है जिसे भारत को स्थायी आंतरिक सुरक्षा की खोज में नेविगेट करना होगा।

परिचय

भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए अनेक चुनौतियाँ हैं। खतरों की सीमा और दायरा जटिल, विविध और विशाल हैं। दुनिया का कोई भी देश एक ही समय में इतनी तीव्रता के साथ इतने अधिक खतरों का सामना नहीं करता है। कुल मिलाकर, 50 प्रतिशत से अधिक भारत को इन खतरों में से एक या दूसरे से प्रभावित बताया जाता है, जो सिर्फ 'कानून और व्यवस्था' की समस्या नहीं हैं। उनके बाहरी आयाम बढ़ते जा रहे हैं जो पारंपरिक ज्ञान को गलत साबित कर रहे हैं कि आंतरिक सुरक्षा खतरे मुख्य रूप से आंतरिक स्रोतों के कारण होते हैं। वे राजनीतिक शरीर को 'कैंसर' की तरह डराते हैं। खराब आंतरिक सुरक्षा स्थिति की स्थिति भारत के प्रतिकूल रणनीतिक वातावरण के कारण नहीं बल्कि कमजोर आंतरिक सुरक्षा तंत्र, विशेष रूप से इसकी आपराधिक न्याय प्रणाली के कारण भी है। इस संदर्भ में, लेख में तर्क दिया गया है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो खतरों के परिणामस्वरूप भारतीय राज्य का क्रमिक पतन हो सकता है। यह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, सैन्य और राजनयिक क्षेत्र में नीतियों और तंत्रों के नए सेट का सुझाव देता है।

"प्रजा का सुख ही राजा का सुख और

प्रजा का हित ही राजा का हित होता है।"

महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य के शब्दों में किसी भी प्रकार के आक्रमण से अपनी प्रजा की रक्षा करना प्रत्येक राजसत्ता का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है। प्रजा के सुख और हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने में दो वाहकों की भूमिका प्रमुख है, जिनमें पहला वाहक पड़ोसी या कोई अन्य देश हो सकता है जबकि दूसरा वाहक राज्य के भीतर अपराधियों की उपस्थिति हो सकती है। इसके अलावा, कौटिल्य ने आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए जबरदस्ती और सुलह के उपायों को भी जिम्मेदार ठहराया है।

चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक राज्य को निम्नलिखित चार अलग–अलग प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ सकता है– 1) आंतरिक, 2) वाह्य, 3) वाह्य रूप से सहायता प्राप्त आंतरिक, 4) आंतरिक रूप से सहायता प्राप्त बाहरी। भारत में आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य में उपर्युक्त खतरों के लगभग सभी रूपों का मिश्रण है।

आंतरिक सुरक्षा का सामान्य अर्थ एक देश की अपनी सीमाओं के भीतर की सुरक्षा से है। आंतरिक सुरक्षा एक बहुत पुरानी शब्दावली है लेकिन समय के साथ ही इसके मायने बदलते रहे हैं। स्वतंत्रता से पूर्व जहाँ आंतरिक सुरक्षा के केंद्र में धरना–प्रदर्शन, रैलियाँ, सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक उन्माद थे तो वहीं स्वतंत्रता के बाद विज्ञान एवं तकनीकी की विकसित होती प्रणालियों ने आंतरिक सुरक्षा को अधिक संवेदनशील और जटिल बना दिया है। पारंपरिक युद्ध की बजाय अब छदम युद्ध के रूप में आंतरिक सुरक्षा हमारे लिये बड़ी चुनौती बन गई है।

आज की सरकार अपनी सीमाओं की रक्षा करने के साथ–साथ कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध है। सुरक्षित आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य देश की वृद्धि और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पहलू को भारत के पूर्व प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने उजागर किया था, जिन्होंने कहा थाः ''प्रभावी कानून और व्यवस्था के बिना, आर्थिक विकास असंभव होगा। इसलिए हमें इस पहलू की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।''

आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियाँ राष्ट्र के लिए प्राथमिकता हैं जैसा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई बार जोर दिया गया है। 2016 में अंतर–राज्य परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि ''हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने देश को अपनी आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं।'' उन्होंने राज्यों से खुफिया जानकारी साझा करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जो आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने में देश को ''सतर्क'' और ''अपडेट'' रहने में मदद करेगा।

किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार से हो सकता है लेकिन जब राष्ट्र की सुरक्षा आंतरिक खतरों से प्रभावित होती है तो उसे आंतरिक खतरों के रूप में पहचान और तत्पश्चात परिस्थिति के अनुसार उससे निपटने के लिए सेना के उपयोग की संभावनाओं को तलाशा जाता है आज राष्ट्र के सामने कश्मीर समस्या, पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद, नक्सलवाद आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। आतंकवाद राजनीति के साथ–साथ आर्थिक और सामाजिक स्वरूप को निकालने के लिए विकराल रूप धारण किए हुए है। भारत में कश्मीर से लेकर केरल तक इस्लामी जिहाद का उन्माद समय–समय पर सभ्य समाज को देश मार रहा है। आतंकवाद का किसी धर्म से कोई लेना देना अब नहीं रह गया है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों और खासकर मुस्लिम देशों में हुए आतंकी हमलों ने साबित कर दिया है। आज आतंकवादी ने सिर्फ अपनी धार्मिक मान्यताओं को दूसरों पर ठोकने का औजार बन चुका है बल्कि इनका हथियार एक ही है हिंसा के जरिए राज्य की शक्तियों को कमजोर करना। आज

कश्मीर बुरे नेतृत्व की जीवित मिसाल बन चुका है आज कश्मीर की त्रासदी केवल यह नहीं है कि पूरा राष्ट्र स्तब्ध है बल्कि यह भी है कि कश्मीर में भारत के समर्थकों की संख्या बहुत कम रह गई है।

2016 से कश्मीर घाटी में छद्म युद्ध के बदले झांसी के बाद यह बात देखने को मिली है कि हिंसा के जरिए ध्यान आकर्षित करने के लिए आतंकी किसी भी हद तक जाने और कोई भी तरीका अपनाने पर आमादा हैं उदाहरणार्थ 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ काफिला पर हमला इसका जीता जागता प्रमाण है। जिसको हम सभी लोग पुलवामा हमले के नाम से भी जानते हैं।

आंतरिक सुरक्षा के घटक

असंख्य विशेषताएं हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा का गठन करती हैं। इनकी गणना इस प्रकार की जा सकती हैः

कानून और व्यवस्था का रखरखाव – कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करना किसी भी सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि 'कानून का शासन' बना रहे और कानून का पालन करने वाले नागरिक किसी भी तरह से पीड़ित न हों।

राष्ट्र की संप्रभुता की सुरक्षा – राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए आतंकवाद, नक्सलवाद आदि के रूप में राज्य और गैर–राज्य अभिनेताओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को बेअसर करने की आवश्यकता है।

घरेलू शांति और शांति सुनिश्चित करना – राष्ट्र में शांति और शांति सुनिश्चित करने के लिए सांप्रदायिक हिंसा, जातीय संघर्ष, भीड़ हिंसा आदि जैसी घटनाओं की जाँच की जानी चाहिए।

स्मानता – भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य पर एक जिम्मेदारी देता है, राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे अधिकारों की रक्षा की जाए।

भय से मुक्ति – एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां लोग बिना भय के अपने विचारों और विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। लोकतंत्र में असहमति महत्वपूर्ण है और लोगों के बीच मतभेदों को बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है।

गैर–भेदभाव – राज्य या बड़े पैमाने पर समाज के हाथों नागरिकों के किसी भी वर्ग का कोई भेदभाव (जिसमें शोषण और उत्पीड़न शामिल है) नहीं होना चाहिए। कमजोरों को सुरक्षा की आवश्यकता है और उन्हें स्वतंत्रता और अधिकारों का आनंद लेना चाहिए।

सामाजिक सद्भाव और भाईचारा – विभिन्न जातियों, समुदायों, क्षेत्रों आदि के बीच सामाजिक सद्भाव आंतरिक सुरक्षा खतरों को रोकने और हल करने के लिए अनिवार्य है।

आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां

जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में आतंकवाद की समस्या – सरल शब्दों में कहा जाए तो पिछले कुछ वर्षो से जम्मू कश्मीर राज्य में गृह युद्ध चल रहा है। एक तरफ भारतीय सेना, सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस हैं तो दूसरी तरफ जिहादी विचारधारा को मानने वाले लोगों के गुट है। सेना और इन आतंकवादियों के बीच आए दिन घटनाएं पढने को मिलती हैं। जिहादी विचारधारा और पाकिस्तान का समर्थन करने वाले ये लोग सीमा पार से आने वाले आतंकियों को प्रश्रय देकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने में मदद करते हैं। भारत के सबसे सुरम्य क्षेत्रों में से एक, जम्मू–कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश पिछले तीन दशकों से सीमा पार आतंकवाद, अलगाववादी हिंसा और सशस्त्र उग्रवाद की समस्या से पीड़ित है। हालाँकि, 1990 के दशक की शुरुआत में आतंकवादी हिंसा के बाद से, यह उग्रवाद मौलिक रूप से बदल गया है। विभिन्न आंतरिक और बाहरी गतिशीलता ने इसे प्रभावित किया है, जैसे पाकिस्तान की इंटर–सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) की ड्राइविंग भूमिका, कश्मीर की अलगाववादी राजनीति का विकास, पैन–इस्लामिक आतंकवादी समूहों का प्रभाव और सोशल मीडिया का उदय। नतीजतन, जम्मू–कश्मीर में उग्रवाद आज 1989 की तुलना में सुरक्षा प्रतिष्ठान के लिए गुणात्मक रूप से भिन्न चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है, जब बड़ी संख्या में कश्मीरी युवाओं ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू–कश्मीर में प्रशिक्षण लेने के लिए नियंत्रण रेखा (एलओसी) को पार किया और आतंकवादी संगठनों या संगठनों में शामिल हो गए। संगठनों। विभिन्न आंतरिक और बाहरी गतिशीलता ने इसे प्रभावित किया है, जैसे पाकिस्तान की इंटर–सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) की ड्राइविंग भूमिका, कश्मीर की अलगाववादी राजनीति का विकास, पैन–इस्लामिक आतंकवादी समूहों का प्रभाव और सोशल मीडिया का उदय।

सालों से चली आ रही इस आंतरिक सुरक्षा समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को कुटनीतिक और सैनिक दोनों स्तर की बड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता हैं। जम्मू कश्मीर राज्य की जनता को भी चाहिए कि आंतरिक शांति और सुव्यवस्था के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का समर्थन कर सक्रिय सहयोग दै। समय रहते यदि इस समस्या पर लगाम नही लगाई गई तो न केवल कश्मीर की वादिया यू ही खून से लथपत होती रहेगी, बल्कि इसका बुरा असर देश के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिल सकता हैं।

"जम्मू और कश्मीर (J&K) की स्थिति हमारे लिए एक चुनौती बनी हुई है। इस साल, सुरक्षा बलों पर लक्षित हमलों में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 50 कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये हमले हमारे सुरक्षा

बलों को हतोत्साहित करने और जम्मू–कश्मीर के लोगों को यह प्रदर्शित करने के लिए सीमा पार रची गई एक नापाक योजना का संकेत देते हैं कि आतंकवादियों की क्षमता कम नहीं हुई है। सीमा पर विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र के पुंछ जिले में हिंसक कार्रवाई और संघर्ष विराम का उल्लंघन भी हुआ है। हमारे सुरक्षा बलों ने सही मात्रा में जवाब दिया है और इस वर्ष नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर कई आतंकवादी कमांडरों को बेअसर करने और 35 आतंकवादियों को खत्म करने में सफल रहे हैं। सुरक्षा बल, हालांकि, विशेष रूप से अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपनी सुरक्षा कम नहीं कर सकते। उनके द्वारा आतंकवाद से सख्ती से निपटने और सार्वजनिक व्यवस्था स्थितियों में पर्याप्त संयम के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। यह नागरिक हताहतों की संख्या को सीमित करने और आगे अशांति फैलाने के लिए अलगाववादी तत्वों को जगह देने से इनकार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

नक्सलवाद की समस्या और समाधान – यदि आतंकवाद के बाद भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौती पर नजर डाले तो नक्सलवाद का ही नाम आता हैं. भारत में नक्सलवाद की शुरुआत आजादी के साथ ही मानी जाती हैं. पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव से शुरू हुआ एक सशस्त्र विद्रोह आज आँध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, उड़ीसा, झारखंड और बिहार सहित दर्जन राज्यों तक फैल चुका हैं. चीन के कम्यूनिस्ट नेता माओत्से तुंग की विचारधारा से प्रभावित होकर किसानों तथा मजदूरों की मांगो की पूर्ति के लिए 1967 में चारू मजूमदार और कानू सान्याल द्वारा शुरू की गई यह क्रांति आज जनसंहार का माध्यम बन चुकी हैं. साम्यवादी विचारधारा के समर्थन से भू स्वामियों के खिलाफ की गई कार्यवाही नक्सलवाद के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी।

अशिक्षित और आदिवासी नवयुवकों को बहला फुसला कर अपने अधिकारों के नाम पर इस सिस्टम का विरोधी बना दिया जाता हैं. मन में कुंठा और विद्रोह का भाव लिए राह से भटके नवयुवक हिंसक घटनाओं को अंजाम देते है, बड़े स्तर पर इस तरह की कार्यवाही आज भारत की बड़ी आंतरिक सुरक्षा की समस्या बन चुकी हैं. सरकार और इन समुदाय के लोगों द्वारा बातचीत या उनकी मांगो को स्वीकार कर नक्सलवाद की समस्या को समाप्त किया जा सकता हैं।

साम्प्रदायिकता – इस बात की पुष्टि के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नही हैं. कि अलग–अलग धर्म जाति और भाषाओं में विविधता होने के उपरांत भी हम भारतीय सदा एकता के सूत्र में बंधे रहे हैं। हमारा इतिहास इस बात का गवाह हैं, कि प्राचीन काल से आज तक हजारों जातियों और समुदायों, विचारधाराओ के लोग भारत आए और भारत की इस संस्कृति के साथ रस बस गये, इन्हे अपना लियौ।

इस देश का प्रत्येक नागरिक चाहे वो हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई किसी सम्रदाय से आता हो हमेशा आपस में मिल–जुलकर रहना चाहते हैं।

मगर कुछ राजनेता और कट्टरपंथी राजनितिक दल जाति और धर्म के नाम पर हमे बाटकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं. वे हर घटना कों जाति और धर्म के नजरिये से देखकर उस पर राजनीती करने का कोई अवसर नही छोड़ते हैं। ये ही चंद लोग भारत में साम्प्रदायिकता का जहर घोलकर अपना उल्लू सीधा करने लगे हैं।

अलगाववाद – अलगाव अपने आप में अशुभ शब्द हैं। भारत राज्यों का संघ हैं, किसी भी देश के समग्र विकास के लिए सता की धुरी का मजबूत होना जरुरी समझा जाता हैं. इसे दुर्भाग्य ही कहा जाए, हर समय भारत में एक नये राज्य की मांग होती रहती हैं। प्रशासन की सुविधा और अधिक अधिकारों के नाम पर आजादी के बाद से कई बड़े राज्यों का विघटन होकर लघु राज्यों में तब्दील हो गये हैं. एक सीमा तक यदि राज्य बहुत बड़ा हैं, जिनका प्रशासन सुचारू रूप से चलाना असम्भव हो तो जरुरी हैं उस राज्य का टुकड़ा कर पृथक राज्य बनाए जाए।

मगर एक संभाग से भी कम आकार के क्षेत्र को लेकर बार–बार अलग राज्य बनाने की जिद्द और इसी जिद्द को लेकर उग्र प्रदर्शन, हड़ताले और तोड़फोड़ कहा तक उचित हैं. भाषा के आधार पर विभाजित पहला राज्य आंध्रप्रदेश था, जो 1953 में बना था और 2017 आते आते भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 हो गईं हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा और समुचित विकास में बड़े राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

किसी भी तरह की कार्यवाही या प्रशासन व्यवस्था में ये छोटे–छोटे राज्यों की सीमाएँ राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अच्छा संकेत नही हैं।

क्षेत्रवाद और भाषावाद – लोगों द्वारा अपने क्षेत्र स्थान को दूसरों से विशिष्ट और अच्छा मानना, अपने निवास स्थान, क्षेत्र, राज्य के प्रति निष्ठा रखना. देश के दुसरे भागों के बारे में तनिक भी न सोचकर अपने ही क्षेत्र के विकास की संकीर्ण विचारधारा को क्षेत्रवाद कहा जाता हैं. इस तरह की विचारधारा से देश के अन्य क्षेत्र और अपना क्षेत्र टकराव की स्तिथि में आ जाते हैं. क्षेत्रवाद के कारण लोगों में अपने क्षेत्र विशेष के लिए अधिक आर्थिक, राजनितिक और सामजिक विकास की भावना घर कर जाती हैं. जिसके कारण असमानता का जन्म होता हैं, जो देश की एकता के लिए खतरा हैं।

भाषावाददृ भारत में 22 भाषाओं को सविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई हैं, देश के विभिन्न कोनों में तकरीबन 1700 बोलिया बोली जाती हैं। विविधता में एकता की पहचान लिए हमारे देश के अधिकतर भागों में हिंदी भाषा बोली व समझी जाती हैं. इस कारण इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया हैं. कुछ दक्षिणी भारत के राज्य जिनमे मुख्य रूप से तमिलनाडू और केरल में हिंदी को राष्ट्रिय भाषा बनाने के विरोध में कई विद्रोह हुए. इस प्रकार के भाषाई टकराव देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता हैं।

धार्मिक कट्टरता एवं नृजातीय संघर्ष – स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक भारत में अनेक सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। जिसने भारत की बहुलतावादी संस्कृति को छिन्न–भिन्न कर दिया है, धर्म, भाषा या क्षेत्र आदि संकीर्ण आधारों पर

अनेक समूह व संगठनों ने लोगों में सामाजिक विषमता बढ़ाने का समानांतर रूप में प्रयास भी करते रहे हैं। ये अतिवादी संगठन अपने धर्म, भाषा या क्षेत्र की श्रेष्ठता का दावा प्रस्तुत करते हैं तथा विद्वेषपूर्ण मानसिकता का विकास करते हैं।

भ्रष्टाचार – भ्रष्टाचार को सभी समस्याओं की जननी माना जाता है, क्योंकि यह राज्य के नियंत्रण, विनियमन एवं नीति–निर्णयन क्षमता को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है। वस्तुतः ऐसा कार्य जो अवांछित लाभ को प्राप्त करने के इरादे से किया जाए अर्थात जो सदाचार, नैतिकता, परंपरा और कानून से विचलन दर्शाता हो तथा निर्णय निर्माण प्रक्रिया में एकीकरण के अभाव व शक्ति का दुरुपयोग करता हो उसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जाता है।

मादक द्रव्य व्यापार – भारत के पड़ोसी देशों में 'स्वर्णिम त्रिभुज' (म्यांमार, थाईलैंड और लाओस) व 'स्वर्णिम अर्द्धचंद्राकार' (अफगानिस्तान, ईरान एवं पाकिस्तान) क्षेत्रों की उपस्थिति के फलस्वरूप मादक द्रव्य का बढ़ता व्यापार भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष प्रमुख चुनौती बन कर उभरा है।

मनी लॉंड्रिंग – काले धन को वैध बनाना ही मनी लॉंड्रिंग है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अवैध स्रोत से अर्जित की गई आय को वैध बनाकर दिखाया जाता है। इसमें शामिल धन को मादक द्रव्य व्यापार, आतंकी फंडिंग और हवाला इत्यादि गतिविधियाँ में प्रयोग किया जाता है। मापन में कठिनाई के बावजूद हर साल वैध बनाए जाने वाले काले धन की राशि अरबों में है और यह सरकारों के लिये महत्त्वपूर्ण नीति संबंधी चिंता का विषय बन गया है।

संगठित अपराध – प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक अथवा अन्य लाभों के लिये एक से अधिक व्यक्तियों का संगठित दल, जो गंभीर अपराध करने के लिये एकजुट होते हैं, संगठित अपराध के श्रेणी में आता है। परंपरागत संगठित अपराधों में अवैध शराब का धंधा, अपहरण, जबरन वसूली, डकैती, लूट और ब्लैकमेलिंग इत्यादि। गैर–पारंपरिक अथवा आधुनिक संगठित अपराधों में हवाला कारोबार, साइबर अपराध, मानव तस्करी, मादक द्रव्य व्यापार आदि शामिल हैं।

आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में योगदान करने वाले कारक

भारत के पूर्व प्रधान मंत्री, डॉ मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था: ''भारत अद्वितीय और विरोधाभासों का देश है। ये विरोधाभास परस्पर क्रिया करते हैं और उन कारकों को जन्म देते हैं जो भारत में आंतरिक सुरक्षा समस्याओं में योगदान करते हैं। इन कारकों की गणना इस प्रकार की जा सकती है।

गरीबी – गरीबी और कानून व्यवस्था की समस्याओं के बीच एक सकारात्मक संबंध है।

कई अध्ययनों से पता चलता है कि घटती राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति कम जीडीपी, प्राथमिक वस्तु या प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता, और धीमी आर्थिक वृद्धि नागरिक संघर्ष के जोखिम और लंबाई को बढ़ाती है। व्यापक गरीबी

भी आवश्यक मानव सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य की क्षमता को कमजोर कर सकती है, और इस तरह राज्यों को आतंकवादी नेटवर्क द्वारा शिकार के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है। वंचित वातावरण में रहने वाले नागरिकों का राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र से मोहभंग हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत के कुछ सबसे पिछड़े और गरीब जिले नक्सली हिंसा की समस्या से जूझ रहे हैं।

बेरोजगारी – बेरोजगारी से कार्यबल की ऊर्जा अप्रयुक्त हो जाती है जिसका उपयोग इसके बजाय आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता था। भारत में, बेरोजगारी दर लगभग 5% है। अधिक चिंताजनक संकेत स्नातकों को दी जाने वाली नौकरियों की गुणवत्ता है, 8 लाख इंजीनियरिंग स्नातकों में से लगभग 60 प्रतिशत बेरोजगार हैं। जब युवाओं की आकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, तो वे असंतुष्ट हो जाते हैं, सरकार में विश्वास खो देते हैं और विघटनकारी प्रवृत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। युवाओं की अस्थिर प्रकृति क्रोध, हताशा की अभिव्यक्ति का कारण बन सकती है और सामाजिक अशांति का कारण बन सकती है ।

असमान विकास – भारतीयों की आय अधिक से अधिक असमान होती जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने चेतावनी दी है कि भारत और चीन दोनों ही बढ़ती असमानता के सामाजिक जोखिम का सामना कर रहे हैं। भारत का गिनी गुणांक 1990 में 0.45 से बढ़कर 2013 तक 0.51 हो गया, मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों के बीच बढ़ती असमानता के कारण । सबसे अमीर 1% भारतीयों के पास अब लगभग 33% संपत्ति है। ये संकेतक इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि भारत में बढ़ती असमानता एक वास्तविकता है और यह चिंता का कारण है, क्योंकि नागरिकों का असंतोष सरकार के लिए आंतरिक सुरक्षा की तुलना में एक चुनौती बन सकता है।

संसाधन वितरण – संसाधनों का वितरण सामान्य अच्छे के सिद्धांत पर आधारित है। आर्थिक विकास का फल जब असमान रूप से वितरित किया जाता है, तो केवल कुछ चुनिंदा लोग ही लाभ उठा पाते हैं, और एक बड़ी आबादी इस प्रक्रिया में पीछे रह जाती है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद आर्थिक विकास को बढ़ाने की नीति को चुना है। यह कल्पना की गई थी कि बढ़ा हुआ विकास समतामूलक विकास के माध्यम से गरीबों और निराश्रितों को निचले पायदान से ऊपर की ओर उठाएगा।

जबकि भारत ने मध्य भारत में खनिज समृद्ध क्षेत्रों में उद्योगों का विकास देखा है, इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास देश के बाकी हिस्सों के समान नहीं है। ये क्षेत्र अब 'रेड कॉरिडोर' कहलाने वाले बन गए हैं क्योंकि यहां स्थानीय आबादी वामपंथी उग्रवाद में शामिल है, मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक–आर्थिक विकास की कमी के कारण।

भ्रष्टाचार – भ्रष्टाचार व्यापक रूप से राष्ट्र में शांति और सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में पहचाना जाता है। जब भ्रष्टाचार जड़ जमा लेता है, तो यह राज्य प्राधिकरण और उसके संस्थानों के विकास को कमजोर कर देता है, जिससे एक कमजोर राज्य विद्रोहियों को संचालित करने के लिए संभावित रूप से अधिक जगह छोड़ देता है। जबकि गरीब अक्सर सबसे अधिक पीड़ित होते हैं, दण्डमुक्ति का यह चक्र आम लोगों को अशक्त बना देता है, अदालतों में न्याय पाने या राजनेताओं को जवाबदेह ठहराने में असमर्थ हो जाता है। यह उन्हें और अधिक दरिद्र बनाता है, लेकिन लोगों और राज्य के बीच वफादारी के किसी भी बंधन को भंग करके संघर्ष के बीज भी बोता है, जो कि निजी हितों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इसके विपरीत, समाज में हिस्सेदारी रखने वाले लोग उन लोगों को अस्वीकार करने की अधिक संभावना रखते हैं जो अपने सिरों को प्राप्त करने के लिए हिंसा का उपदेश देते हैं।

इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हम भ्रष्टाचार और संघर्ष के बीच एक निरंतर और दुखद संबंध देखते हैं ।

निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद का व्यापक दुरूपयोग राज्य के महत्व को खा रहा है, भारत की ताकत को कम कर रहा है। जब हथियारों की खरीद से लेकर नीतिगत बदलावों तक के महत्वपूर्ण फैसले अक्सर भ्रष्ट विचारों से प्रभावित होते हैं, तो यह अपरिहार्य है कि आंतरिक सुरक्षा से समझौता किया जाएगा। राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा बनाए गए निर्वात के कारण अति वामपंथी ताकतें ग्रामीण क्षेत्रों में फल–फूल रही थीं। भ्रष्ट राज्य मशीनरी ने राज्य को कमजोर करने में योगदान दिया है। यह तब होता है जब व्यवस्था उलट जाती है कि कुछ तत्व लोगों के पक्ष में हस्तक्षेप करते हैं और उनका समर्थन हासिल करते हैं, जिससे माओवाद फैल जाता है।

लंबी न्यायिक प्रणाली – आपराधिक न्याय प्रणाली सुधारों पर मालिमथ समिति ने कहाः "यह सामान्य ज्ञान है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को घेरने वाली दो प्रमुख समस्याएं आपराधिक मामलों की भारी संख्या और आपराधिक मामलों के निपटान में अत्यधिक देरी हैं। देश भर की विभिन्न अदालतों में लगभग 47 मिलियन मामले लंबित हैं। उनमें से, 87.4: अधीनस्थ न्यायालयों में और 12.4 उच्च न्यायालयों में लंबित हैं, इस प्रकार बड़ी संख्या में आपराधिक मामले लंबित हैं और आपराधिक मामलों के निपटान में अत्यधिक देरी प्रमुख समस्याएं हैं। त्वरित और सस्ता न्याय नहीं मिलने पर लोग निराश हो जाते हैं। इस तरह के मामलों का लंबित रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक है क्योंकि अपराधियों में दण्डमुक्ति की धारणा आ जाती है।

शत्रुतापूर्ण पड़ोसी – भारत पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी सीमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा साझा करता है, और अपने पूर्वी और पश्चिमी पड़ोसियों के साथ तनावपूर्ण संबंध रखता है। ब्रिटिश शासन से आजादी मिलने के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी रही है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद से पड़ोसियों ने चार बार युद्ध में प्रवेश किया। कश्मीर पर नियंत्रण दोनों देशों के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण रहा है। पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद, नकली भारतीय मुद्रा नोटों (FICN), मादक पदार्थों की तस्करी आदि के माध्यम से भारत के साथ छद्म युद्ध में शामिल है।

वर्तमान समय में, भारत में माओवादी वैचारिक समर्थन के लिए चीन की ओर देखते हैं, चीन ''स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स'' की नीति का पालन कर रहा है – हिंद महासागर में नौसैनिक संचालन के लिए बंदरगाहों का उपयोग करने के अधिकार प्राप्त करना – भारत को घेरना। इसके अलावा, चीन और पाकिस्तान के बीच सांठगांठ है और प्रस्तावित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है और भारत को इससे आपत्ति है।

कुछ क्षेत्रों में कठिन भूभाग – उत्तर पूर्व और भारत के उत्तरी क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्रों में कठिन भूभाग सीमा के प्रबंधन को एक चुनौतीपूर्ण कार्य बनाता है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में विद्रोहियों, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में आतंकवादियों और मध्य भारत के पहाड़ी इलाकों में माओवादियों की उपस्थिति सुरक्षा एजेंसियों के कार्य को और अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण बना देती है क्योंकि उन्हें इन समूहों की शत्रुता और कठिन इलाके की दोहरी चुनौतियों से निपटना पड़ता है।

साम्प्रदायिक कलह – साम्प्रदायिक सद्भाव और असहिष्णुता की कमी साम्प्रदायिक कलह को जन्म दे रही है। भारत में हिंदू–मुस्लिम संघर्ष आम हैंय हालाँकि, देश ने 1984 में सिख विरोधी दंगे भी देखे हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार देश में 2011 से अक्टूबर 2015 के बीच साम्प्रदायिक घटनाएं औसतन एक महीने में 58 घटनाएं हुईं।

इसके अलावा, दंगों के परिणामस्वरूप संपत्ति का काफी नुकसान होता है, आजीविका का नुकसान होता है और आवासीय अलगाव होता है। कुछ निहित स्वार्थ हमारे समाज में विभिन्न विभाजनों से अत्यधिक लाभान्वित होते हैं। इन निहित स्वार्थों ने वर्षों से एक सांप्रदायिक प्रचार किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बहुसंख्यक समुदाय छद्म सांप्रदायिकता की भावना प्रदर्शित करता है। समाज की स्वार्थी प्रवृत्ति साम्प्रदायिकता को और बढ़ावा दे रही है।

जाति चेतना – जाति चेतना हमारे समाज में गहरी जड़ जमा चुकी है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज का अविभाज्य पहलू बन गई है और इसने शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति, विवाह और धर्म जैसे सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है।

आजादी मिलने के सात दशक बाद भी दलितों के साथ दुर्व्यवहार होता है, जातिगत विचारधारा के आधार पर अधिक बार चुनाव लड़े जाते हैं। लोकतंत्र और जाति एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि जाति असमानता के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन दुर्भाग्य से, समाज में कुछ व्यक्तियों द्वारा दोष रेखाओं का शोषण किया जाता है और समाज उबाल पर रहता है।जाति के चश्मे के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्णय लेना निर्णयों की निष्पक्षता को बाधित करता है और लंबे समय में मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिकूल साबित होता है।

आंतरिक सुरक्षा को खतरा

अर्थशास्त्र में कौटिल्य या चाणक्य ने राज्य के आंतरिक और बाहरी खतरों के बारे में लिखा है कि ये गलत तरीके से संपन्न संधियों और बस्तियों के कारण उत्पन्न होते हैं। उन्होंने किसी देश की सुरक्षा के लिए चार प्रकार के खतरों को वर्गीकृत किया

आंतरिक – सबसे गंभीर और भयावह खतरे आंतरिक हैं जो आंतरिक प्रवर्तकों या आंतरिक प्रेरकों से उत्पन्न होते हैं। चाणक्य ने डर की तुलना एक छिपे हुए सांप से की है।

बाहरी – विशुद्ध रूप से बाहरी जो विदेशी द्वारा उत्पन्न और प्रेरित होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न लेकिन बाहरी रूप से उकसाए गए खतरे। उदाहरणः जब आंतरिक आतंकवादी समूह पाकिस्तान जैसे शत्रुतापूर्ण राष्ट्रों की सहायता करते हैं

बाहरी रूप से उत्पन्न लेकिन आंतरिक रूप से प्रेरित खतरे। जैसेः जब चीन जैसे शत्रुतापूर्ण राष्ट्र देश के माओवादियों का समर्थन करते हैं। भारत विभिन्न आंतरिक सुरक्षा खतरों का सामना कर रहा है, जिनमें शामिल हैं:

1. **आतंकवादः** भारत कई वर्षों से आतंकवाद का निशाना रहा है, जिसमें पाकिस्तान में सीमा पार से लश्कर–ए–तैयबा और जैश–ए–मोहम्मद जैसे समूह और अन्य आंतरिक चरमपंथी संगठन सक्रिय हैं। ये समूह भारत के विभिन्न हिस्सों में कई हमलों के लिए जिम्मेदार रहे हैं।

2. **नक्सलवादः** नक्सली–माओवादी विद्रोह एक महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा चुनौती है, खासकर छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में। इन समूहों का लक्ष्य एक साम्यवादी राज्य स्थापित करना है और अक्सर सुरक्षा बलों और नागरिकों के खिलाफ हिंसा में संलग्न रहते हैं।

3. **पूर्वोत्तर भारत में विद्रोहः** कई पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववादी आंदोलन देखे गए हैं, जिनमें उल्फा, एनएससीएन और अन्य समूह स्वतंत्रता या अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। इन संघर्षों के परिणामस्वरूप क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो गई है।

4. **सांप्रदायिक और जातीय तनावः** भारत की विविध आबादी कभी–कभी सांप्रदायिक और जातीय तनाव का कारण बनती है, जो हिंसा में बदल सकती है और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है।

5. **साइबर सुरक्षा खतरेः** प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता के साथ, भारत हैकिंग, डेटा उल्लंघन और साइबर जासूसी सहित साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील है।

6. **कट्टरवाद और उग्रवादः** व्यक्तियों के कट्टरवाद को लेकर चिंता है, जो अक्सर चरमपंथी विचारधाराओं से जुड़ा होता है, जो हिंसा या आतंकवाद के कृत्यों को जन्म दे सकता है।

7. सीमा विवादः भारत का चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है, जो भड़क सकता है और आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।

भारत सरकार और सुरक्षा बल खुफिया अभियानों, आतंकवाद विरोधी उपायों, विकास पहलों और राजनयिक प्रयासों सहित विभिन्न माध्यमों से इन खतरों से निपटने के लिए लगातार काम करते हैं।

भारत की आंतरिक सुरक्षा खतरे की धारणा ऊपर परिभाषित खतरों के सभी चार रंगों का मिश्रण है। बदलते बाहरी वातावरण का हमारी आंतरिक सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल आदि में होने वाली घटनाओं का हमारी आंतरिक सुरक्षा पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज के सूचना और डिजिटल युग में, आंतरिक और बाहरी दोनों सुरक्षा खतरे आपस में जुड़े हुए हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है।

आंतरिक सुरक्षा के समाधान

सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक खुफिया तंत्र में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और सुरक्षा पर गठित कैबिनेट समिति को पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई से उत्पन्न सुरक्षा खतरों के खिलाफ एक प्रभावी जवाबी रणनीति तैयार करनी चाहिये। हमारी रणनीति प्रतिक्रियाशीलता के बजाय अधिक सक्रियता की होनी चाहिये। केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों को उनके द्वारा सुरक्षा प्रबंधन के विषय को प्राथमिकता देने की आवश्यकता के संदर्भ में जागरूक किया जाना चाहिये। जिस समय सुरक्षाबलों द्वारा नक्सलवाद और आतंकवाद विरोधी अभियान चलाएँ जा रहे हों, उस समय राज्य सरकार को विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना चाहिये। इस दिशा में SAMADHAN पहल एक सराहनीय कदम है। राज्यों के पुलिस बल के आधुनिकीकरण की ओर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। आर्थिक अपराधों से निपटने के लिये संबंधित नियामक एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिये। केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो' इस संबंध में प्रमुख भूमिका निभा सकता है।संगठित अपराध से निपटने के लिये अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना चाहिये।

साइबर सुरक्षा के लिये हर विभाग में विशेष सेल बनाए जाने के साथ–साथ आईटी अधिनियम में संशोधन कर सजा के सख्त प्रावधान किये जाने चाहिये। सीमा को तकनीकी की सहायता से प्रबंधित व निगरानी करने की आवश्यकता है।

भारत सरकार को एक 'समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति' बनाने की आवश्यकता है। इस नीति के माध्यम से एक 'राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों का मंत्रालय' तथा 'राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशासनिक सेवा' नाम से एक अलग केंद्रीय सेवा गठित किया जाना

चाहिये। निश्चित ही सरकार ने इस दिशा में आंशिक प्रयास जरूर किये हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना, रक्षा नियोजन समिति की स्थापना आदि। लेकिन ये सभी निकाय अपने–अपने स्तरों पर कार्यरत हैं। आवश्यकता है ऐसी नीति और ऐसी संरचना की जो इन सभी को एक साथ लेकर चले।

सबसे पहले, आतंकवाद और उग्रवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अच्छी तरह से सुसज्जित, प्रशिक्षित और समन्वित होना चाहिए। संभावित खतरों से बचने के लिए खुफिया एजेंसियों को सहयोग करना चाहिए और जानकारी साझा करनी चाहिए। इसके अलावा, सामुदायिक पुलिसिंग कानून प्रवर्तन और जनता के बीच विश्वास पैदा कर सकती है, जिससे कट्टरपंथ की रोकथाम में सहायता मिल सकती है।

दूसरे, आंतरिक सुरक्षा मुद्दों के मूल कारणों को कम करने के लिए सामाजिक–आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है। संघर्ष–प्रवण क्षेत्रों में शिक्षा, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने से हाशिए पर रहने वाली आबादी के बीच असंतोष और अलगाव को कम करने में मदद मिल सकती है।

तीसरा, सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए अंतर–सामुदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना आवश्यक है। विभिन्न धार्मिक और जातीय समूहों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देने से विभाजन को पाटने में मदद मिल सकती है।

अंत में, साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए साइबर अपराधियों को ट्रैक करने और पकड़ने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा में कुशल कार्यबल विकसित करना महत्वपूर्ण है।

संक्षेप में, 21वीं सदी में भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ एक समग्र दृष्टिकोण की मांग करती हैं जो मजबूत कानून प्रवर्तन, सामाजिक–आर्थिक विकास, सामुदायिक जुड़ाव और साइबर सुरक्षा उपायों को जोड़ती है। भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ बहुआयामी हैं, जिनमें आतंकवाद और विद्रोह से लेकर सांप्रदायिक तनाव और साइबर खतरे तक शामिल हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो प्रभावी कानून प्रवर्तन, खुफिया जानकारी साझा करने और सामाजिक–आर्थिक विकास को जोड़ती है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय, भारत के लिए एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य सुनिश्चित करने की कुंजी है।

निष्कर्ष

21वीं सदी में भारत का आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य चुनौतियों और विकल्पों का एक जटिल जाल प्रस्तुत करता है, जिस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। निष्कर्षतः, यह स्पष्ट है कि राष्ट्र को पारंपरिक और गैर–पारंपरिक क्षेत्रों में फैले बहुमुखी खतरों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक आतंकवाद है, जो घरेलू और बाहरी दोनों स्रोतों से उत्पन्न हो रहा है। लश्कर–ए–तैयबा और जैश–ए–मोहम्मद जैसे समूह एक महत्वपूर्ण खतरा बने हुए हैं, जिसके लिए मजबूत आतंकवाद विरोधी उपायों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, उग्रवाद और वामपंथी उग्रवाद कुछ क्षेत्रों में जारी है, जिसके लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें विकास पहल और सुरक्षा संचालन शामिल हैं। जातीय और सांप्रदायिक तनाव भी चिंता का विषय बने हुए हैं और उनका बढ़ना सामाजिक एकता को कमजोर कर सकता है। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए ऐसी समावेशी नीतियों की आवश्यकता है जो धार्मिक और सांस्कृतिक सहिष्णुता के साथ–साथ अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा दें। इसके अलावा, साइबर खतरों और हाइब्रिड युद्ध रणनीति का उदय भारत की सुरक्षा चुनौतियों में एक नया आयाम जोड़ता है। इस संबंध में मजबूत साइबर सुरक्षा क्षमताओं का विकास करना और खुफिया साझाकरण तंत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

इन चुनौतियों से निपटने के विकल्पों में खुफिया एजेंसियों को मजबूत करना, पुलिस बल का आधुनिकीकरण करना और सीमा सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में निवेश करना शामिल है। खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय साझेदारी बनाना भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, भारत को इन मुद्दों के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए, विशेष रूप से उग्रवाद और उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसे शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के प्रयासों के साथ–साथ चलना चाहिए, जो सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है।

निष्कर्षत 21वीं सदी में भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ जटिल हैं, जिनमें आतंकवाद, विद्रोह, सांप्रदायिक तनाव और साइबर खतरे शामिल हैं। इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए, एक बहुआयामी दृष्टिकोण जरूरी है जो सुरक्षा उपायों को सामाजिक आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ जोड़ता है। केवल एक व्यापक रणनीति के माध्यम से ही भारत अपने आंतरिक परिदृश्य को सुरक्षित करने और आने वाले वर्षों में अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की उम्मीद कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

Books

- डॉ. लल्लनजी सिंह, 2021. *राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा (National Defence and Security)* बरेली, उत्तर प्रदेशः प्रकाश बुक डिपो,

- अखिल मूर्ति, 2015. *राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा (National Defence & Security)* दिल्ली, मूर्ति प्रकाशन
- डॉ. अशोक कुमार सिंह, 2013. *रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन (Defence and strategic studies)* बरेली, उत्तर प्रदेशः प्रकाश बुक डिपो,
- डॉ. राम सूरत पाण्डेय, 2016. *राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय* संबंध *(National Security and International Relation)* चतुर्थ संस्करण, बरेली, उत्तर प्रदेशः प्रकाश बुक डिपो,

Websites

- https://www.hindustantimes.com/
- https://link.springer.com/
- http://www.ipcs.org/
- https://www.drishtiias.com/
- https://www.mha.gov.in/
- https://hihindi.com/
- http://www.visionias.in/
- http://www.orfonline.org.in/
- https://knowindia.india.gov.in/
- https://www.insightsonindia.com/
- https://epaper.thehindu.com/
- https://www.thequint.com/
- https://mod.gov.in/